न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 22/2017

अपीलान्ट्स

1. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम
2. मदनलाल पुत्र किशनाराम
3. चम्पादेवी पत्नी किशनाराम
4. किस्तुरचन्द पुत्र जोराराम
5. विजय कुमार पुत्र माणकराम
6. सुआदेवी पत्नी माणकराम

जातियान दर्जी, निवासीगण – ग्राम नाथडाऊ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राणुलाल पुत्र जोराराम
2. उत्तमचन्द पुत्र माणकलाल

जातियान दर्जी, निवासीगण – ग्राम नाथडाऊ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1173 ग्राम नाथडाऊ को उप तहसीलदार बालसेर द्वारा दिनांक 21.12.2001 को स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री रविशेखर थानवी व श्री दीपसिंह भाटी उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– **29.07.2019**

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवन्यू एक्ट म्यूटेशन संख्या 1173 ग्राम नाथडाऊ को उप तहसीलदार बालसेर द्वारा दिनांक 21.12.2001 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नाथडाऊ तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नं0 546 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी जिसमें किशनाराम, माणकराम, किस्तुरचन्द व राणुलाल चार खातेदार थे, जिनका 1/4–1/4 हक एवं हिस्सा एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसका बंटवाड़ा नहीं हुआ था। म्यूटेशन संख्या 1173 के द्वारा पारस्परिक बंटवाड़ा स्वीकृत करवा लिया गया था जबकि पक्षकारों के मध्य कोई पारस्परिक बंटवाड़ा नहीं हुआ था। पारस्परिक बंटवाड़े को बताकर म्यूटेशन संख्या 1173 नियम विरूद्ध दिनांक 21.12.2001 को करवा लिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री रविशेखर थानवी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार (भू0अ0) बालेसर के पत्राक क्रमांक/भू0अ0/2017/1856 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा मूल रेकर्ड प्राप्त किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 09.07.2019 को सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नाथडाऊ तहसील बालेसर के खसरा नं0 546 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी जिसमें किशनाराम, माणकराम, किस्तुरचन्द व राणुलाल चार खातेदार थे, जिनका 1/4–1/4 हक एवं हिस्सा एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसका बंटवाड़ा नहीं हुआ था। म्यूटेशन संख्या 1173 के द्वारा पारस्परिक बंटवाड़ा स्वीकृत करवा दिया गया था जबकि पक्षकारों के मध्य कोई पारस्परिक बंटवाड़ा नहीं हुआ था। पारस्परिक बंटवाड़े को बताकर म्यूटेशन संख्या 1173 नियम विरूद्ध दिनांक 21.12.2001 को पारित करवा लिया जो विधि विरूद्ध है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि पक्षकारों के मध्य पारस्परिक कभी बंटवाड़ा नहीं हुआ था। यदि पारस्परिक बंटवाड़ा होता तो म्यूटेशन की पुष्त पर नक्शा पर अलग कब्जा दिखाया जाता एवं उसके आधार पर तरमीम नक्शा ट्रेस में दर्ज की जाती लेकिन इस प्रकरण में दिनांक 10.02.2017 तक नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ। उन्होनें यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर व सूचना नहीं दी गई और पक्षकारों के मध्य शिविर में किसी प्रकार का पारस्परिक बंटवाड़ा नहीं हुआ था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध एवं नियम विरूद्ध म्यूटेशन पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य बताया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन भरने के पश्चात् भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी की पालना पटवारी हल्का द्वारा नहीं की गई और तहसीलदार ने इस बात को नजरअन्दाज करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो गैरकानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

अपील मीमो के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के कब्जाकाश्त को लेकर इस वर्ष 2017 के जून के अंतिम माह में वर्षा होने पर दखलअन्दाजी करनी शुरू की एवं अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि नक्शे में तरमीम करवा ली है इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारें कब्जे से बेदखल कर दूंगा जबकि दिनांक 10.02.2017 तक नक्शे में कोई तरमीम नहीं की हुई थी जिस पर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से दिनांक 10.07.2017 को नक्शा व जमाबन्दी की नकल लेने पर तरमीम एवं उसमें बट्टा नम्बर लगे हुए होने की जानकारी में आया। पटवारी हल्का ने दिनांक 13.07.2017 को अपीलाधीन म्यूटेशन की नकल दी जिस पर शिविर में पारस्परिक बंटवाड़ा होने का आदेश होने का उल्लेख आया फिर तहसील में उक्त आदेश की नकल लेने की कोशिश की लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं होने की जानकारी मिली इसलिए सर्वप्रथम म्यूटेशन की नकल दिनांक 13.07.2017 को मिलने पर जानकारी में आने पर यह अपील पेश की जा रही है जिसे अन्दर मियाद पेश किया। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का तरमीम अनुसार ही कब्जा काश्त है। खसरा नं0 546 का बंटवाड़ा दिनांक 21.12.2001 को हुआ जिसमें सभी हिस्सादारान की उपस्थिति थी। श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय द्वारा प्रशासन गांवों के संग शिविर गिलाकौर के आदेश क्रमांक 916 दिनांक 19.12.2001 की अनुपालना में पारस्परिक बंटवाड़ा किया गया। उक्त बंटवाड़ा खातेदारों की उपस्थिति में किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1173 के साथ–साथ नामान्तरकरण संख्या 1166 किशनाराम की फौतेदगी का नामान्तरकरण भरकर उसी दिन सभी के अलग खाते दर्ज किये गये। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो चुके कि अपीलान्ट को उक्त म्यूटशेन की जानकारी 10.07.2017 को हुई। यह प्रार्थना–पत्र अन्दर म्याद कतई नहीं है। शपथ–पत्र के अभाव में प्रार्थी का यह म्याद का प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने बहस में यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त म्यूटेशन राजस्व शिविर में आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया गया है। इस शिविर में गांव के मौजिज व्यक्ति भी उपस्थित थे। सी0पी0सी0 के आदेश 23

के तहत आपसी सहमति से किये जाने वाले निर्णय की अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अपील चलने योग्य नहीं है। उन्होनें यह भी कथन किया कि राजस्व रेकर्ड पर सन्देह नहीं किया जा सकता। बंटवाड़े का रेकर्ड उपलब्ध न होने के लिए पक्षकार उत्तरदायी नहीं है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को उक्त बंटवाड़े अनुसार बराबर भूमि दी गई है। अपील से पहले ही अपीलान्ट ने धारा 188 में राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया है। उसमें अपीलान्ट अपना पक्ष रख सकते है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने मियाद के बिन्दु पर जवाब देते हुए कथन किया कि जानकारी होने से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की है और म्यूटेशन के कॉलम नं0 14 में अंकित तथ्य गलत है। आपसी सहमति से बंटवाड़ा नहीं किया गया। उक्त म्यूटेशन की पुष्त पर तरमीम नहीं है। अतः म्यूटेशन खारिज किया जावे।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील में सलंग्न दस्तावेजों का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम नाथडाऊ के नामान्तरकरण संख्या 1173 जो दिनांक 31.12.2001 को उप तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया का अवलोकन किया। इसमें पटवारी हल्का ने बंटवाडे का आदेश जो राजस्व प्रशासन गांव के संग शिविर गिलाकौर में आदेश क्रमांक 916 दिनांक 19.12.01 की अनुपालना में भरकर जांच हेतु भूअभिलेख निरीक्षक चामू को पेश किया। भूअभिलेख निरीक्षक ने यह टिप्पणी अंकित की है कि '' जांच किया सही पाया तरमीम करें '' लेकिन मूल नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर उसके पुष्त पर तरमीमसुदा नक्शा अंकित नहीं है। रेस्पोडेन्ट की ओर से फॉर्म न0 3 के साथ दिनांक 21.05.2018 को प्रस्तुत मौमी ट्रेस नक्शा का अवलोकन किया जो पटवारी हल्का नाथडाऊ द्वारा सत्य प्रतिलिपि जारी की गई है। इस मौमी ट्रेस में बंटवाडे के खसरे के बट्टा नं0 546, 2, 3 व 4 लाल स्याही से अंकित किये हुए है। 2, 3 व 4 में खसरा नं0 अंकित नहीं है। नामान्तरकरण के अनुसार बंटवाडे के खसरा के बट्टा न0 546, 546/1, 546/2 व 546/3 अंकित है। अतः बंटवा द्वारा जारी मौमी ट्रेस नक्शे व नामान्तरकरण संख्या 1173 के खसरा व बट्टा नम्बरों में समानता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 1173 ग्राम नाथडाऊ उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 21.12.2001 को स्वीकृत किया गया के कॉलम संख्या 14 में अंकित मूल बंटवाड़े से संबंधित जो राजस्व शिविर में स्वीकृत किया गया कि मूल पत्रावली तहसीलदार बालेसर को लिखा गया था लेकिन तहसीलदार बालेसर ने अपने पत्रांक राजस्व/2018/537 दिनांक 24.04.2018 के द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 21.12.2001 को आपसी बंटवाडे की मूल पत्रावली इस कार्यालय की भूअभिलेख शाखा व राजस्व शाखा में तलाश की गई। उक्त पत्रावली इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

आदेश

प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग शिविर गिलाकौर के आदेश क्रमांक 916 दिनांक 19.12.2001 व आपसी बंटवाड़े की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1173 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर व मूल रेकर्ड की तलाश कर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested